

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं0सं0-02 / परी0-01(राज0)-08-2023-390

प्रेषक,

गोपेश कुमार पाण्डेय,
अवर सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

उप निदेशक,
बिपार्ड, पटना।

पटना, दिनांक- 28-02-2024

विषय:- आशुलिपिक संवर्ग के पदाधिकारियों/कर्मियों के आशुलेखन परीक्षा में डिक्टेसन हेतु मानदेय/पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-8027 दिनांक-16.11.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि दिनांक-15.03.2023 से पूर्व आशुलिपिक संवर्ग के पदाधिकारियों/कर्मियों के आशुलेखन परीक्षा में अवर सचिव, राजस्व पर्षद द्वारा डिक्टेसन दिया जाता था जिसके लिए उन्हें कोई मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है।

राजस्व पर्षद द्वारा पर्षदीय ज्ञापांक-1722, दिनांक-03.07.2017 के आलोक में हिन्दी टंकण एवं हिन्दी श्रुतिलेखन की उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन हेतु 100/- (एक सौ रुपये) मात्र उत्तरपुस्तिका की दर से मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता था।

डिक्टेसन हेतु मानदेय/पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में कोई दर राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा निर्धारित नहीं है।

विश्वासभाजन

28-02-24

अवर सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

01C

28/02/24